

इमारक : एफ ४ (३५८) आकाशि / नि.स./ १९५५ / १२६

आदेश

राज्य सरकार हासा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2017-18 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्मारकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/संकाय में रथाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान होया जाता है:-

महाविद्यालय का नाम व पता	सारबद्ध विश्वविद्यालय	संकाय/विषय
एस.एस.जी. पारिक पी.जी. कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय, कानपुर रोड, बनीपार्क, जयपुर।		स्नातकोत्तर स्तर पर— विज्ञान संकाय— प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र।

- संचारित विश्वविद्यालय एवं बी०शी०आई०से संबद्धता प्राप्त करने का दावितव स्वयं संस्था का होगा।
- राज्य महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू०जी०सी. अहंताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अर्थक्षणिक रूपक की नियुक्ति के साथ-२ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्ती सहायता नहीं देगी।
- राज्य को समय-२ पर यू०जी०सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कोलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करेगी होगी।
- राज्य द्वारा राजस्थान और सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम १९८९ तथा तत्सम्बन्धी नियम १९९३ के सभी उपर्योगी की निरंतर अनुपालन सुनिश्चित की जावेगी।
- राज्य को रथाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कमी भिन्नउल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
- राज्य को प्रत्येक सत्र में कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- विधि महाविद्यालयों को बी०सी०आई० के नियमों की अनुपालना अनिवार्य करनी होगी।
- राज्य प्रति वर्ष आयुक्तालय/ नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/ विभाग की [www.dce.rajasthan.gov.in](http://www.dce.rajasthan.gov.in) से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएं भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- राज्य महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को १५ दिवस में website address की सूचना देगा।
- गानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल [aishie.nic.in](http://aishie.nic.in) पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCFF-II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना आवश्यक होगा।
- महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी १५ दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर गानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
- उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—
- गोष्ठी-सहायेक, माठ उच्च शिक्षा मंत्री महादय, राजस्थान, जयपुर।
  - निजी साचिव, आग्नि० मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
  - जिला कलेक्टर, जयपुर।
  - पुस्त राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
  - साचिव, संविधित महाविद्यालय।
  - राज्यकीय शाखा, आयुक्तालय, कोलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
  - राज्यकीय पत्रावली

आपुका

कालेज विद्या, जयपुर(राज.)

११८८

संयुक्त-निवेशक (निःसं.)

कालज विद्या, जयपुर(राज.)